<u>न्यायालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना, जिला–सतना (म.प्र.)</u>

क्रमांक– 129(3) / 23 सतना, दिनांक : 07.11.2023

<u>(संशोधित आदेश)</u>

मैं, **अनीता खजुरिया**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला–सतना (म.प्र.) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत **<u>माह–नवम्बर व दिसम्बर 2023</u>** की अवकाश अवधि में आपसी चर्चा/सहमति उपरांत अत्यावश्यक दाण्डिक कार्य सम्पादन हेतु नीचे वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यिुटी उनके समक्ष अंकित तिथि के लिये लगाती हूँ। उक्त तिथियों में संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना की न्यायालय कक्ष में सायं 3:00 बजे से 5:00 बजे के मध्य उपस्थित होकर अत्यावश्यक दाण्डिक कार्य एवं रिमाण्ड कार्य सम्पादित करेगे –

क्र.	रिमाण्ड कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह–नवम्बर	माह–दिसम्बर
1	**2**	**3**	**4**
1	श्रीमती शक्ती वर्मा,	-	3
2	सुश्री वंदना मालवीय,	-	24, 25
3	श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल	18, 19	-
4	श्रीमती कामिनी प्रजापति	15	-
5	श्री शैलेन्द्र उईके	-	31
6	श्रीमती मीता पवार जंदेल,	10, 11	-
7	श्रीमती रेनू यादव	-	10
8	श्री अजय प्रताप सिंह यादव	26, 27	16, 17
9	श्रीमती संगीता शुक्ला,	-	-
10	श्री शिरीष शुक्ला,	12	-
11	सुश्री श्वेता सिंह	13, 14	-

नोटः–

1– कार्यालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतना (म.प्र.) के विविध आदेश क्रमांक–64/चार–1–1/2013/14 सतना, दिनांक–24.06.2014 अनुसार सार्वजनिक अवकाश दिवसों में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सतना के आपराधिक प्रकरणों में गिरफ्तार व्यक्तियों को रिमाण्ड ड्यिुटी में उपस्थित न्यायिक अधिकारी के समक्ष पेश किया जायेगा।

2– **<u>अचानक अवकाश घोषित होने पर माह–नवम्बर एवं दिसम्बर–2023 में श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल, जे.एम.एफ.सी. सतना, आवश्यक कार्य एवं रिमाण्ड सम्पादित करेंगे और यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल अनुपस्थित रहती हैं तो मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा रिमाण्ड व आश्यक कार्य सम्पादित किया जाएगा।</u>**

3– पुलिस अधीक्षक, सतना से अपेक्षा है कि वे अपने अधीनस्थ प्रत्येक थानों पर यह निर्देश प्रसारित करें कि अवकाश अवधि पर रिमाण्ड एवं आवश्यक कार्य लेकर हर हालत में सायं 3:00 बजे तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

4– **<u>अपरिहार्य कारणवश यदि संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट नियत रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ रहता है तो मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा रिमाण्ड कार्य सम्पादित किया जाएगा।</u>**

5– सार्वजनिक अवकाश होने की दशा में रिमाण्ड के दौरान संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रेप विक्टिम के कथन (अंतर्गत धारा–164 द.प्र.सं.) लेखबद्ध किये जायेगे।

6– किशोर न्याय बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट व सदस्यों के अवकाश/अनुपस्थित रहने की दशा में उक्त न्यायालय की रिमाण्ड उपरोक्तानुसार संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा सम्पादित किया जाएगा।

7– रिमाण्ड ड्यूटी में उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यकता होने पर प्रोटोकाल से संबंधित कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे।

S/d –

(अनीता खजुरिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सतना (म.प्र.)

पृष्ठांकन कमांक– /23 सतना, दिनांक : 07.11.2023

प्रतिलिपिः–

1– माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जिला–सतना (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2– पुलिस अधीक्षक सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3– सिस्टम अधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायालय सतना (म.प्र.) को आदेश की प्रति सभी उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं पुलिस अधीक्षक, सतना को ई–मेल के माध्यम से भेजने हेतु प्रेषित।

(अनीता खजुरिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सतना (म.प्र.)